

कार्यविद्या निर्देशक (प्रशासन), विकित्ता एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ३०५०, लखनऊ।

संख्या-४ई(१) क्रमांक ०३०/२३/२०२३

ਲਾਖਨਊ: ਦਿਨਾੰਕ: 21/11/2023

// कायोलेय झाप //

स्वर्गीय देवी, साईटटू, प० कमलापात त्रिपाठा जिला चुनूर नवायाताप, वडा का. १०३ दिनांक 23.11.2022 को सोवाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित पुन श्री अमिषेक कुमार यादव की नियुक्ति सूतक आश्रित के रूप में सूतक आश्रितों की भर्ती सेवा-नियामावली १९७४, यथा संशोधित अधिनियम, ३०.०० शासन, चिकित्सा अद्यभाग-४ के प्रावली सं०-५-४०९९/९०१/२०२२-४/-३६८६४७/२०२३, दिनांक १४.०८.२०२३ के क्रम में एवं कार्यिक अद्यभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१/२/७३-का-२-२०२२ती०१००-१ (II), दिनांक २७.१२.२०२२, द्वारा प्राप्तप्राप्ति “उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (हेतु संशोधन) नियामावली २०२२” में निहित प्राविधान के अन्तर्गत निर्देशक (निर्दिष्ट), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ३००४०, लखनऊ के अध्यासारण पत्र संख्या-१९५/४८०-एन/१९९/३७६१, दिनांक २७.१०.२०२३ के साथ प्राप्त नियंत्रक अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मूल्य चिकित्सा अधिकारी, पं० करमला पति त्रिपाठी संस्कृत चिकित्सालय, चंदौली की संस्कृति पत्र संख्या-स००५िओअधी०/सूतक आश्रित/नियुक्ति/२०२३-२४/७९७, दिनांक ३.०९.२०२३ उनके हारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को दृष्टिभाव स्थाने हुए अधिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चंदौली में रियत करिष्य का सहायक के पद पर वेतन बैण्ड रु० ५२००-२०२०० एवं शेड वेतन रु०-२०००/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-३) में समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुसन्धान अभ्यार्थी भला व अन्य भलों सहित अस्थायी रूप में “उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधिनियम कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा

नियमाबदी-1994 के अंतर्गत अधिकृत शैता के अधिन नव्युत प्रदान का जाता है-

- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक साह तक वैध होगा तत्क्षणात् स्वतः नियरत समझा जायेगा।
- उत्त पद पर इन्हें याज्ञ सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुभव महंगाई भला व अन्य अते देय होते।
- उत्त विवरित गोलाकार की लिंग में साला होमी वशा डस पइ योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भला देय

4. योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चंदोली के समक्ष निम्नलिखित अभिलेख को प्रस्तुत करना होगा:-

(੬) ਪਾਰਿਆਂ। ਸੁਖਦਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।

(क) अदित्य शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
 (ल) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भांति जानते हों किन्तु

यमकथा न हो।

मुख्य चाकलस्थी आधकरण द्वारा प्रदत्त स्थलद्वयों ब्रह्मन् वत्र।

(६) संविधान के प्रारं शर्तवाचिका का प्रणाली वन।
 (७) अधिकारिक होने वाले समाज मत यहि विवाहित हो तो एक व

5. यह नियुक्ति ३०५० सेवाकाल में कृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तेहरायं संशोधन) नियमानुसारी-२०२२, कार्यक्रमिक अनुभाग-२ की अधिस्थूत्या संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-VI (II), दिनांक २७.१.२२, वे होंगे।

2022 में जिवाहत शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और टक्कण आनंदाये अहता के क्षेत्र में अपेक्षित प्रविणा नहीं होगी है और सूत सरकारी सेवक का आक्षित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अधिनार दस्तावेज़ के बीतर के वर्ष के बीतर इस शर्त के अधीन रहते हुए नियन्त्रित कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर

ही कम्प्यूटर प्रचालन में ई0ओई0ए0सी0सी0 सोलोसी0सी0 प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रकाश पत्र के साथ-साथ एक में 25 शब्द प्रति उपर्याप्त संखेवाले अधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं उसके लिये विधिवत् रहता है तो उसकी

- मूलक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केवलिय सख्तार/गज्ज सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह सेवायोजन निष्प्रभावी जाना जायेगा।
- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मूलक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मूलक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
- मूल्युत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ विभिन्न अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जायें।
- कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में निहित व्यवस्थाबुझार एक वर्ष के भीतर श्री अभिषेक कुमार यादव पुत्र स्य ० कमलावती देवी, सिस्टर, प० कमलापति विपाठि जिला संयुक्त चिकित्सालय, चंदौली की हिन्दी कम्प्यूटर लंकण की परीक्षा का आयोजन माह सितम्बर 2024 के अंतिम कार्यावस में महानिःदेशालय स्तर पर गतिं समिति के समक्ष अनुदेशक/परिषद विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपट स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृष्ठक से निर्गत किये जायेंगे, जिस हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से लेने लेते हुए लंकण परीक्षा की तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
- स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
- यह नियुक्ति पत्र जनपट/मण्डल स्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि भविष्य में श्री अभिषेक कुमार यादव द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उक्ती सेवाये स्थान: समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमाब्दार श्री अभिषेक कुमार यादव के विरुद्ध कई कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त आदेश स्य ० कमलापती देवी, सिस्टर, प० कमलापति विपाठि जिला संयुक्त चिकित्सालय, चंदौली का निलय स्वशासी गज्ज चिकित्सा महानिःदेशालय, चंदौली में विलय होने के कारण निर्गत किये जा रहे हैं।

(इ) राजागणपति आर०

आई०ए०एस०
निदेशक (प्रशासन)

संख्या-४डी०१) मू०आ०/क००३०/२३/२०२३/ ६।७५ - ०७ तद्विवांक।

प्रतीलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अठलोआकार (लिखा एवं हक्कड़ही) ३०प्र० प्रायगराज।
- विशेष सचिव, उप्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-४
- निदेशक (उपचारिका), स्वास्थ्य सेवा महानिःदेशालय, ३०प्र०, लखनऊ।
- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ३०प्र०।
- प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य निकित्सा महानिःदेशालय, चंदौली।
- निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय बेतसाइट पर अपलोड हेतु।
- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी।
- संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिषिक्त), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में जिम्माबुझार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चंदौली को अनुपालवार्थ एवं इस निदेश के साथ कि बिन्दु संख्या-०४, ०६, ०७, ०८, ०९ एवं ११ पर वांछित अभिलेख/आर्डा समय-समय पर पूर्ण होने की स्थिति में उसकी एक-एक प्रतिस्तानकारित प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महानिःदेशालय की गूल पत्रावली में रक्षित करवायें।
- मुख्य/विरिष्ट कोषाधिकारी, चंदौली।
- श्री अभिषेक कुमार यादव पुत्र स्य ० कमलापती देवी, सिस्टर, प० कमलापति विपाठि जिला संयुक्त चिकित्सालय, चंदौली, निवासी-गाम-बुदेन, पोर्ट-मुहम्मदल्ला सदर, जनपट-आजमगढ़। (पंजीकृत डाक द्वारा)
- विरिष्ट पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, चंदौली को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अधिकारी का पुलिस सत्यापन कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- गार्ड फाइल।

(इ) राजागणपति आर०

अपर निदेशक (मुख्यालय परिषिक्त)